भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3666

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

वास्तविक रोजगार का व्यापक आकलन

3666. थिरु दयानिधि मारन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी प्रमुख पहलों के अंतर्गत वर्ष 2014 से सृजित वास्तविक रोजगार का कोई व्यापक आकलन कराया है और यदि हां, तो योजना-वार और वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थायी, संविदात्मक, नैमित्तिक , स्वरोजगार और गिग/प्लेटफॉर्म रोजगार के बीच अंतर करते हुए वर्ष 2014 से सृजित सत्यापन योग्य कुल नौकरियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा यह सत्यापित करने के लिए अपनाई गईं पद्धति का ब्यौरा क्या है कि ऐसा रोजगार वास्तविक, सतत और बिना-दुहराव वाला हो;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2014 से अपने किए गए रोजगार सृजन की प्रतिबद्धताओं और वास्तविक रोजगार परिणामों के बीच के अंतर का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वार्षिक लक्ष्यों, उपलब्धियों और किसी भी कमी के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2014 से कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वालों की कुल संख्या, ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस के नए अंशदाताओं की कुल संख्या तथा विद्यमान श्रमिकों के औपचारिकीकरण के बजाय नए रोजगार के रूप में स्वतंत्र रूप से सत्यापित की गई लोगों की वर्ष-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017–18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः-

वर्ष	डब्ल्यूपीआर (% में)	यूआर (% में)
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2
2023-24	58.2	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि रोजगार को दर्शाने वाले डब्ल्यूपीआर में वृद्धि की प्रवृत्ति है और पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

इसके अलावा, पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर स्व-नियोजित कामगारों का प्रतिशत वितरण वर्ष 2017 में 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 58.4 प्रतिशत हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और इसमें 27 उद्योगों के रोजगार संबंधी अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार वर्ष 2014-15 के दौरान 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 64.33 करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 36.44% की वृद्धि को दर्शाता है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है इससे देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सितंबर, 2017 और जुलाई, 2025 की अवधि के बीच 8.23 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं, जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। साथ ही, वर्ष 2024-25 के दौरान ईपीएफओ में 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण (एसप्री2025) को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, संगठित क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों को जो अनजाने में ईएसआई कवरेज से छूट गए थे, उन्हें पूर्वव्यापी कवरेज या दंडात्मक कार्रवाई की चिंता किए बिना पंजीकरण करने के लिए एक बार का अवसर प्रदान किया गया था। इस योजना के दौरान दिनांक 31.01.2026 तक कुल 1,38,718 नए नियोक्ता और 1,12,72,772 कर्मचारी जोड़े गए हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च, 2015 में 8.75 लाख से बढ़कर मार्च, 2025 में 1.99 करोड़ हो गई है।

रोज़गार मेला एक प्रमुख पहल है जिसे रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। शुरुआत से अब तक, देश भर में आयोजित किए गए 19 रोज़गार मेलों के माध्यम से 12.5 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं।

सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी चला रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से लैस करना है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना भी कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। देश में इस योजना के कार्यान्वयन के बाद से जून, 2026 तक, भाग "क" के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को 744.58 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना के भाग "ख" के तहत 67,369 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 2,068.84 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
